उसमें से सारा पानी नींव में चला गया। जब वह मकान गिरा तो कलकत्ता नगर निगम के चीफ इंजीनियर और मैट्रो रेलवे के चीफ इंजीनियर के बीच वाद-विवाद होने लगा। एक कहते हैं कि तुम्हारी गलती के कारण पानी रिसा और दूसरे कहते हैं कि तुम्हारे छेद के कारण पानी रिसा। लेकिन सच्चाई यह है, माननीय रामेश्वर ठाकुर जी जानते हैं, वे कलकत्ता के रहने वाले हैं, कि उस पूरे अंचल में भय व्याप्त है। 45 मकान जर्जर घोषित कर दिए गए। इस प्रकार गिरने के बाद पांच मकान और जर्जर घोषित कर दिए गए। मेरी मांग है कि जो जर्जर मकान हैं, मैट्रो रेलवे के इंजीनियर उनकी या तो मरम्मत करें या वहां रहने वालों को कोई वैकल्पिक स्थान दें और वहां उनकी व्यवस्था करें। जो मकान वहां गिरा है, उसमें कई दुकाने थीं। वहां दुकान मिलना मुश्किल है। वहां रहने वालों के लिए कोई और विकल्प नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा मकान कैसे गिरा? उसमें रहने वाले प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक दुकानदार को तीन-तीन लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और जो 52 मकान बिल्कुल जर्जर घोषित किए गए है, उनकी देख-रेख और उनके रख-रखाव का कोई विशेष प्रबंध होना चाहिए। मैं चाहता था कि माननीय रेल मंत्री जी यहां रहते लेकिन वह चले गये हैं, माननीय रामेश्वर ठाकुर जी कलकत्ता के पुराने नागरिक होने के कारण मैं समझता हूं कि अपना उत्तरदायित्व निभाएंगे और वे सईद साहब से बात करेंगे।

श्री शंकर दयाल सिंह: शास्त्री जी, नागरिक तो यह बिहार के हैं, यह कहिए कि कलकत्ता में रहे हैं।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वे सुन ही नहीं रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सईद साहब से अनुरोध करें कि यह जो इतना बड़ा हादसा हो गया है, कलकत्ता में, उसकी सुव्यवस्था हो और जो 52 मकान किसी भी समय गिर सकते हैं, उनकी रक्षा हो, उसकी जांच पड़ताल हो कि क्या हो सकता है। वहां के नागरिकों के लिए कोई विकल्प हो, व्यवस्था हो। मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस क्षेत्र के नागरिकों को भयमुक्त करेगी। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): I think the hon. Minister would request the Minister for Railways to look into this aspect, otherwise there will be loss not only of property but also of human beings.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPTT. OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) Sir, I quite appreciate the sentiments of the hon. Member. As the hon. Member had said, I have lived in that area f : more than 12 years and I have seen the position recently. I will convey the feelings and suggestions of the hon. Member to the hon. Minister for Railways.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1994

THE SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 23rd August, 1994, agreed without any amendment to the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1994, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 11th August, 1994."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): The House is now adjourned till tomorrow.

> The House then adjourned at thirty seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Wednesday the 24th August, 1994.